पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-572/2019

थाना कांड संख्या -142 वर्ष-2002 थाना-शाहपुर पटोरी जिला-समस्तीपुर से उत्पन्न

==========

1. महेश चौधरी, आयु 69 (पुरुष), पुत्र स्वर्गीय जागेश्वर चौधरी निवासी गांव-सुल्तानपुर चोराही, थाना-पटोरी, जिला-समस्तीपुर

2. गणेश चौधरी, आयु 64 (पुरुष), पुत्र स्वर्गीय जागेश्वर चौधरी, निवासी गांव-सुल्तानपुर चोराही, थाना-पटोरी, जिला-समस्तीपुर

3. महाबीर चौधरी, आयु 59 (पुरुष), पुत्र स्वर्गीय जागेश्वर चौधरी, निवासी गांव-सुल्तानपुर चोराही, थाना-पटोरी, जिला-समस्तीपुर

4. अर्जुन चौधरी आयु 54 (पुरुष), पुत्र स्वर्गीय जागेश्वर चौधरी निवासी गांव-सुल्तानपुर चोराही, थाना--पटोरी, जिला-समस्तीपुर

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थीओं के लिए	:	श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जितेंद्र नारायण सिन्हा, अधिवक्ता श्री सुनील कुमार ठाकुर, अधिवक्ता श्री अमरेश कुमार, अधिवक्ता सुश्री खुशी अवध, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीओं की अधिवक्ता	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, अ.लो.अ.

==========

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 341, 342, 328, 302, 120 बी*

संदर्भित मामले:

- *मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 80*
- *हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य 1954 एआईआर 51, 1954 एससीआर 475*

***अपील**- उस दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ताओं/आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 328, 302, 120 बी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।*

***निर्णय**- जांच अधिकारी का कर्तव्य केवल अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करना नहीं है ताकि कोर्ट दोषसिद्धि दर्ज कर सके, बल्कि वास्तविक और बिना किसी छिपाव के सत्य को उजागर करना है। (पैरा 26)*

वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि यहां जो जांच अधिकारी के कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, उनका पालन नहीं किया गया। उदाहरण स्वरूप, जब पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, तो जांच अधिकारी और पुलिस ने अपराध स्थल का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे कि वह बर्तन जिनमें मृतक ने अपना खाना खाया था और वह कंटेनर जिससे मृतक ने ताड़ी पी थी आदि को ध्यान में नहीं लिया गया। (पैरा 26)

मृतक के परिवारजनों ने कोई मामला दर्ज नहीं किया और लगभग एक महीने की देरी के बाद, सूचनाकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई। यह इस बात का संकेत देता है कि अभियोजन पक्ष की कहानी झूठी है और अविश्वसनीय है। जहां तक बात है कि उस डॉक्टर का जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार किया, उसे परखा नहीं गया, इससे फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट पर सवाल उठता है कि यह रिपोर्ट किसने ली, प्राप्त की, और सैंपल को कैसे संग्रहित किया। इसके अलावा, यह सवाल भी उठता है कि जो विसेरा रिपोर्ट वर्तमान मामले में संलग्न है, वह मृतक की है या नहीं। अंत में, यह विश्वास

करना कठिन है कि केवल कुछ दिनों बाद, जब उसे धमकी दी गई कि यदि बकाया भुगतान फिर से मांगा गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, मृतक फिर भी आरोपियों से मिलने गया और मछली, रोटी खाई और आरोपियों के घर पर ताड़ी पी। इसके अलावा, इस मामले का कोई आंखों देखा गवाह नहीं है और सभी गवाहों की गवाही केवल सुनवाई पर आधारित है और उन्होंने घटना को नहीं देखा। (पैरा 29)

अपील स्वीकार की जाती है। (पैरा 31)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

तारीखः 04-07-2024

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि गणेश चौधरी की इस अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है।

2. तदनुसार, अपीलकर्ता संख्या 2 गणेश चौधरी के संबंध में यह अपील निरस्त की जाती है।

3. वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 374 (2) के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश-3, समस्तीपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 387/2005 (पटोरी थाना मामला संख्या 142/2002 से उत्पन्न) में दिनांक 08.04.2019 के दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 10.04.2019 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 328,302, 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमाकांत शर्मा को सुना गया, जिनकी सहायता प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान अ.लो.अ. श्री सुनील कुमार ठाकुर, श्री अमरेश कुमार, सुश्री खुशी अवध, श्री जितेंद्र नारायण सिन्हा और श्री सुजीत कुमार सिंह ने की।

5. अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्तमान अपील दायर करने के लिए आवश्यक तथ्य यह है कि वर्तमान मामला शुरू में यू.डी. मामला संख्या 04/2002, दिनांक 23.10.2002 के रूप में पंजीकृत हुआ था और उसके बाद 20.11.2002 को सूचक राम जापान राय द्वारा शिकायत मामला संख्या 1349/2002 दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि सुबह में उन्हें सूचना मिली कि लगभग 6:30 बजे उनके बेटे अशोक कुमार राय (मृतक) को पवन चौधरी पुत्र सतनारायण चौधरी ने *ताड़ी* (ताड़ की शराब) पीने के लिए बुलाया था। बाद में पता चला कि अशोक कुमार राय (मृतक) की हत्या कर दी गई है और उनके परिवार के सदस्य और अन्य लोग घटनास्थल पर गए थे। इसके बाद, सूचक भी वहां पहुंचे और अपने बेटे को आरोपियों के दरवाजे पर मृत पाया, जहां उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। उक्त परिस्थितियों के आधार पर, सूचक को संदेह था कि अपीलकर्ताओं सहित आरोपियों ने उसके बेटे को मारने के इरादे

से *ताड़ी* (ताड़ की शराब) में जहर दिया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि सूचक के बड़े बेटे ओम प्रकाश ने भी सूचक को बताया कि घटना से चार दिन पहले, अशोक कुमार राय का लीज के पैसे को लेकर सतनारायण चौधरी के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की, इसलिए शिकायत मामला संख्या 1349/2002 दर्ज किया गया और शिकायत मामले में कुल सात आरोपी थे।

6. सूचनादाता द्वारा दायर वाद की शिकायत के आधार पर, वर्तमान मामला संस्थित किया गया और जांच शुरू की गई, जिसमें यूडी केस नंबर 04/2002 को एफआईआर में बदल दिया गया और आरोप पत्र प्राप्त करने के बाद, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर ने अपराध का संज्ञान लिया।

7. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने मुखबिर सहित कुल 11 (ग्यारह) गवाहों से पूछताछ की है। इनमें से अभि.सा.-1 राज कुमार राय, अभि.सा.-2 तिलकेश्वर राय, अभि.सा.-3 नन्हकी महतो, अभि.सा.-4 ओम प्रकाश राय पुत्र लक्ष्मा राय, अभि.सा.-5 कमल राय, अभि.सा.-6 ममता देवी, अभि.सा.-7 राम जापान राय (मुखबिर), अभि.सा.-8 ओम प्रकाश राय पुत्र राम जापान राय, अभि.सा.-9 घुरन राय, अभि.सा.-10 नागेंद्र राय, अभि.सा.-11 अर्जुन राय से पूछताछ की गई है। मुकदमे के दौरान मामले के जांच अधिकारी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ नहीं की गई है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री रमाकांत शर्मा ने प्रारम्भ में यह दलील दी कि इस शिकायत मामले में, अर्थात् एफ.आई.आर. का मूल आधार,

यू.डी. केस संख्या 04/2002 दर्ज करने के 03 दिन के अत्यधिक तथा अस्पष्टीकृत विलम्ब के बाद दर्ज किया गया है, जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील, श्री जितेन्द्र नारायण सिन्हा ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थिति में, जब अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर और आईओ दोनों की जांच करने का कोई कष्ट नहीं उठाया है, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह बहुत घातक हो जाता है, जब पोस्टमार्टम परीक्षा के दौरान विसरा सुरक्षित रखा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया है। पुलिस और ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा विरोधाभासी बयान और ट्रायल में जांच अधिकारी की जांच न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। आगे कहा गया कि अभियोजन पक्ष प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में आरोपित किए गए उद्देश्य को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान एक दूसरे के विपरीत हैं। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, दोषसिद्धि का विवादित निर्णय और सजा का आदेश खराब और टिकाऊ नहीं है। इसलिए, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ सभी उचित संदेहों की छाया से परे मामले को सफलतापूर्वक साबित नहीं कर पाया है। इसलिए, आरोपी व्यक्ति/अपीलकर्ता बरी किए जाने के योग्य हैं।

10. दूसरी ओर, विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह ने अपील का पुरजोर विरोध किया है। विद्वान अ.लो.अ. ने कहा है कि घटना सुबह में घटित हुई थी तथा सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों ने विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही दी है, जिससे मामले के परिस्थितिजन्य पहलू को साबित किया जा सकता है, जिसमें पट्टे की संपत्ति के बकाया राशि के बहाने मृतक के साथ

अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के बीच हुई तीखी बहस से लेकर सह-अभियुक्तों द्वारा मृतक को सुबह उसके घर से बुलाना तथा मृतक (अशोक कुमार राय) की मृत्यु के कारण अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के घर पर हंगामा होना शामिल है। अभि.सा.-6 ने पवन चौधरी को पट्टे की संपत्ति के बकाया राशि के लिए मृतक को सतनारायण चौधरी के घर बुलाते हुए देखा है, जिससे अपीलकर्ताओं का उद्देश्य और अधिक साबित होता है तथा इस आधार पर अभियोजन पक्ष की कहानी सही है तथा अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त कथनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के मद्देनजर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए सही कहा है तथा वर्तमान अपीलों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का भी अवलोकन किया है।

12. इस स्तर पर, हम अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य के प्रासंगिक अंश की सराहना करना चाहेंगे।

13. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों की जांच की। अभि.सा.-3 और अभि.सा.-4 को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है।

14. अभि.सा.-1 ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना चार वर्ष पूर्व प्रातः 6 बजे घटित हुई थी। जब अभि.सा.-1 अपने दरवाजे पर था, तो उसने देखा कि पवन चौधरी मृतक को बुलाकर ले जा रहा है। जब अभि.सा.-1 वहां गया, तो उसने मृतक का शव पवन चौधरी के घर के दरवाजे पर देखा। उसने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचान लिया।

14.1 अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि घटना के समय आरोपी मौजूद नहीं था और आरोपी कोलकाता में रहता था। पवन चौधरी ही वह व्यक्ति है जो पूरे मामले से जुड़ा हुआ है।

15. अभि.सा.-2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना चार वर्ष पूर्व प्रातः 7 बजे घटित हुई थी। जब वह दवा लाने के लिए उमनसराय जा रहा था, तो उसने अभियुक्तगण सत्यनारायण चौधरी एवं पवन चौधरी को भागते हुए देखा। अभि.सा.-2 ने आगे बताया कि जब दोनों से पूछा कि वे क्यों भाग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है। दवा लेकर वापस लौटते समय अभि.सा.-2 को पता चला कि अशोक कुमार राय (मृतक) की हत्या कर दी गई है। अभि.सा.-2 ने शव को सतनारायण चौधरी के घर के दरवाजे पर देखा। अभि.सा.-2 ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण/अपीलकर्ताओं को पहचाना।

15.1 अपने जिरह में उसने बताया कि वह सम्मन पर बयान देने आया था। उसने आगे बताया कि घटना के समय महेश चौधरी, गणेश चौधरी, अर्जुन चौधरी और एक अन्य व्यक्ति गांव से बाहर रहते थे।

16. मुख्य परीक्षण में अ.सा.-5 ने कहा है कि घटना आठ वर्ष पूर्व प्रातः 6.30-6.45 बजे की है। वह धान काटने के लिए मजदूर ढूंढने गया था, जहां उसने मृतक को आरोपी के घर पर मछली-रोटी के साथ *ताड़ी* (ताड़ की शराब) पीते देखा। मजदूरों से बात कर वापस लौटते समय उसने मृतक को दर्द से तड़पते देखा। वह वापस उस स्थान पर आया, जहां मृतक के साथ कुछ अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। मृतक के मुंह से लार बह रही थी। बाद में उसके मुंह से खून भी निकला और उसकी

मौत हो गई। आरोपीगण नदी पार कर भाग गए। कुछ देर बाद पुलिस आई और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपीगण सतनारायण चौधरी ने मृतक की जमीन (6 कट्ठा) लीज पर ली थी, जिसका किराया आरोपियों ने नहीं दिया था, जिसे लेकर मृतक और आरोपियों के बीच कहासुनी हुई थी। लीज पर ली गई जमीन के पैसे मांगने पर आरोपियों ने मृतक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अ.सा.-5 ने अदालत में उपस्थित आरोपियों को पहचान लिया।

16.1 अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी गांव के रिश्ते में उनके चाचा हैं। उनका अशोक चौधरी से कोई लेना-देना नहीं है और गांव में किसने किसे जमीन किराए पर दी, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी या रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि मृतक शराबी था या नहीं और उन्होंने मृतक के साथ कभी *ताड़ी* (ताड़ की शराब) नहीं पी थी। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी का घर उनके घर से लगभग 200 लाघी (स्थानीय दूरी की इकाई) है। उन्होंने यह नहीं गिना है कि उनके घर और आरोपी व्यक्तियों के घर के बीच कितने घर हैं। उन्होंने घर का विवरण और आरोपी के घर और उनके घर के आसपास के क्षेत्र की सीमाओं का विवरण दिया। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने एक जांच रिपोर्ट तैयार की थी और उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि मृतक का शव पुलिस ने किस समय उठाया था। घटनास्थल पर कोई डॉक्टर नहीं आया था। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और उसे याद नहीं है कि पुलिस ने उसका बयान कब लिया था। उसे सिर्फ वही याद है जो उसने बताया है और अ.लो.अ. ने उसे कुछ नहीं सिखाया। ओम प्रकाश ने बताया था कि मृतक और आरोपी भाइयों के बीच विवाद था। उन्होंने केवल यह देखा कि मृतक *ताड़ी* (ताड़ की शराब) पी रहा था और

आरोपी उसके साथ बैठे थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यह याद नहीं है कि मृतक ने आरोपियों को जमीन कब दी थी। घटना के दिन मृतक का पिता गांव में मौजूद नहीं था। मृतक एक शादीशुदा व्यक्ति था और उसके बच्चे भी थे और यह सच नहीं है कि मृतक शराब पीने के बाद बच्चों और अपनी पत्नी को बहुत मारता था। यह भी सच नहीं है कि मृतक शराबी था। यह भी सच नहीं है कि उसे जबरन *ताड़ी* (ताड़ की शराब) पिलाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि मृतक के पिता ने आरोपियों से पैसे ऐंठने के लिए आरोपियों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज नहीं कराया है।

17. अभि0सा0-6 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि वह मृतक की पत्नी है तथा सूचक उसका ससुर है। घटना 8-9 वर्ष पूर्व बुधवार को प्रातः लगभग 6:00 बजे घटित हुई, जब वह अपने घर पर थी। घटना के पूर्व अभि0सा0-6 का पति (मृतक) अपने घर पर सो रहा था, तभी पवन चौधरी ने आकर मृतका से कहा कि पवन चौधरी के पिता एवं चाचा उसे 10 कट्ठा जमीन से संबंधित हिसाब-किताब करने के लिए बुला रहे हैं। आधे घंटे बाद उसने सुना कि उसके पति बेहोश हो रहे हैं, जिसके बाद वह आरोपियों के घर के दरवाजे पर गई। उसके साथ अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। उसने देखा कि उसके पति के मुंह से थाइमस विष निकल रहा था। उस समय उसका पति बेहोश था। उसने आगे बताया कि आरोपियों ने उसके पति को जहर मिलाकर ताड़ी पिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसने इसके पीछे पट्टे की जमीन और उसके किराए का विवाद भी बताया। उसने न्यायालय में उपस्थित आरोपियों को पहचाना।

17.1 अपने जिरह में उसने बताया कि अभियुक्त सतनारायण चौधरी *ताड़ी* (ताड़ की शराब) विक्रेता है तथा उसका पति अपने मित्रों के साथ उक्त अभियुक्तों के साथ शराब पीता था। जब वह अभियुक्तों के घर गई तो उसने देखा कि उसका पति बेहोश था

तथा उसके मुंह से किसी दवा की गंध आ रही थी। मृतक के शरीर पर उसे कोई चोट या घाव का निशान नहीं दिखा तथा घटना के दिन उसने अपने पति को *ताड़ी* (ताड़ की शराब) पीते भी नहीं देखा। उसके पति को कोई डॉक्टर के पास नहीं ले गया। उसे याद नहीं है कि अभियुक्तों के घर पर उसके साथ कितने लोग मौजूद थे। उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि पवन चौधरी ने उसके पति को फोन करके बताया कि उसके चाचा तथा पिता 10 खट्टा जमीन तथा *ताड़* के पेड़ का हिसाब-किताब करने के लिए बुला रहे हैं। उसने पुलिस को यह भी बताया कि मृतक के मुंह से थाइमस (जहर) निकल रहा था। उसने उन आरोपियों के नाम भी बताए जिन्होंने *ताड़ी* (ताड़ की शराब) में जहर मिलाकर उसके पति की हत्या की। उसने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उसके पति ने *ताड़ी* (ताड़ की शराब) पी ली हो और गलती से गिरकर घायल हो गया हो, जिससे उसे खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई।

18. अभि.सा.-7 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह इस मामले में मुखबिर है और घटना 23.10.2002 को सुबह लगभग 6-7 बजे हुई। घटना के समय वह पहाड़पुर में था और नगीना राय नामक व्यक्ति ने आकर उससे कहा कि वह अपने बेटे के घर चले जाए क्योंकि कुछ समस्या हो गई है। वह सुल्तानपुर में अपने घर आया, जहाँ सभी कह रहे थे कि उसके बेटे अशोक राय की मृत्यु हो गई है। वह अभियुक्त के घर गया और अपने बेटे को दरवाजे पर मृत पाया। उसने कहा कि उसे ऐसा लगा कि उसके बेटे को उठाकर जमीन पर फेंक दिया गया है क्योंकि मृतक के शरीर पर धूल थी। मृतक के मुँह से दुर्गंध और झाग निकल रहा था। उनकी बहू ने बताया कि आरोपियों ने सुबह उनके बेटे को फोन करके 5-6 कट्ठा की लीज वाली

जमीन और 10-11 *ताड़* के पेड़ों का हिसाब-किताब करने के लिए बुलाया था। यह जमीन 50/खजूर और 200/कट्ठा प्रति वर्ष की दर से लीज पर ली गई थी। यह किराया हर साल बैशाख के महीने में दिया जाता था, लेकिन पिछले दो सालों से किराया नहीं दिया जा रहा था। मृतक ने कई बार आरोपियों से बकाया राशि मांगी, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए और धमकी भी दी कि अगर उसने दोबारा पैसे मांगे तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आगे बताया कि उनके बेटे की हत्या आरोपियों ने की है और अभि.सा.-7 ने अदालत में मौजूद आरोपियों को पहचाना।

18.1 अपनी जिरह में उसने कहा है कि घटना के समय उसने पुलिस के सामने अपना बयान नहीं दिया था, बल्कि उसने घटना के दो महीने बाद अपना बयान दिया। उसने पुलिस को यह भी नहीं बताया कि घटना के समय वह गांव में मौजूद नहीं था। उसने पुलिस को अपना बयान दिया कि उसने शोर सुना था कि उसका बेटा मर गया है। उसने अपने बेटे का शव देखा है और उसने कहा है कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे उठाकर जमीन पर फेंक दिया है क्योंकि मृतक के शरीर पर धूल थी। मृतक के मुंह से दुर्गंध और झाग निकल रहा था। उन्होंने पुलिस को आगे बताया कि उनकी पुत्रवधू ने बताया कि आरोपियों ने सुबह में उनके बेटे को फोन कर 5-6 कट्ठा जमीन और 10-11 *ताड़* के पेड़ों का हिसाब-किताब करने को कहा था। यह जमीन 50 रुपये खजूर और 200 रुपये प्रति कट्ठा वार्षिक के हिसाब से लीज पर थी। यह किराया हर साल बैशाख महीने में दिया जाता था, लेकिन दो साल से किराया नहीं दिया जा रहा था। मृतक ने कई बार आरोपियों से बकाया राशि मांगी, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए और धमकी भी दी कि अगर दोबारा पैसे मांगे तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अभि.सा.-7 ने आगे बताया कि उन्होंने मामला दर्ज कराया है और अपना शिकायत पत्र

भी दिया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने खुद घटना नहीं देखी है। यह सच नहीं है कि उनके अपने बेटे के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और इस कारण वह किसी दूसरी जगह रहता था। इसका कारण यह है कि उनके परिवार के पास दो जगह खेत थे और इस कारण वे दो जगह रहते थे। अभि.सा.-7 का अपने बेटे से कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उसके पति ने *ताड़ी* (ताड़ की शराब) पी ली हो और गलती से गिरकर घायल हो गया हो, जिसके कारण उसे रक्तस्राव होने लगा और वह बेहोश हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

19. अभि.सा.-8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना 7-8 साल पहले सुबह 6 से 7 बजे के बीच हुई थी। मृतक उसका बड़ा भाई था। उसने आगे बताया कि उसका भाई पवन चौधरी के घर पट्टे की संपत्ति की बकाया राशि मांगने गया था, लेकिन अभि.सा.-8 को यह नहीं पता था कि कोई बकाया राशि है या नहीं। आधे घंटे बाद उसने कुछ शोरगुल सुना और देखा कि आरोपी भाग रहे हैं और उसका भाई दर्द से तड़प रहा है। उसने मृतक के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं देखा। वह अपने भाई को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सका क्योंकि उसके भाई की पांच मिनट के अंदर ही मौत हो गई। आरोपियों को जो रकम देनी थी, वह आज तक नहीं दी गई है और यह घटना लीज पर दी गई संपत्ति की बकाया रकम को लेकर हुए विवाद के कारण हुई।

19.1 अपनी जिरह में, उसने कहा है कि घटना बुधवार, 23.08.2008 को हुई थी। घटना के समय अभि.सा.-8 अपने घर पर था और घटना के समय वह अस्पताल नहीं गया क्योंकि उसके भाई की रास्ते में ही मौत हो गई थी। अभि.सा.-8 पूरे दिन अपने घर पर था और वह घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं गया।

घटना पट्टे पर दी गई संपत्ति से संबंधित बकाया राशि के संबंध में विवाद के बहाने हुई। उसने आगे कहा कि घटना स्थल पर कई ग्रामीण मौजूद थे और उनमें से कुछ अभि.सा.-8 ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। उसे उसके भाई ने नहीं पढ़ाया था।

20. अभि.सा.-9 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 8-9 वर्ष पूर्व सुबह लगभग 8 बजे हुई थी, जब वह अपने घर पर था। आरोपीगण मृतक को अपने घर ले गए तथा कुछ देर बाद उसने सुना कि पवन चौधरी तथा अशोक *ताड़ी* (ताड़ की शराब) पीकर नशे की हालत में घूम रहे हैं। जब लोग वहां पहुंचे तो सभी आरोपीगण अशोक राय की हत्या करके जा चुके थे। मृतक के मुंह से झाग निकल रहा था। अभि.सा.-8 ने न्यायालय में उपस्थित आरोपियों को पहचाना।

20.1 अपने जिरह में उसने कहा है कि उसने अभियुक्तों को मृतक को जहर देते हुए नहीं देखा था और उसने घटना को घटित होते हुए भी नहीं देखा था। उसका बयान मृतक की मृत्यु के 5-10 दिन बाद दर्ज किया गया था। उसने अपना बयान अपने घर पर दिया था और उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि पवन चौधरी मृतक को अपने साथ ले गया था। उसने यह भी नहीं सुना कि पवन और अशोक *ताड़ी* (ताड़ की शराब) पीकर उत्पात मचा रहे थे। उसने पुलिस को यह भी नहीं बताया कि जब लोग मृतक के शव के पास जमा हुए तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसने मृतक के पिता के कहने पर झूठी गवाही नहीं दी है।

21. पी.डब्लू.-10 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना 23.10.2002 को लगभग 7-8 बजे हुई, जब वह अपने खेत में चारा काट रहा था। आरोपी व्यक्ति

मृतक को अपने घर ले गए, जहां अन्य सह-आरोपी भी मौजूद थे। मृतक का पट्टे पर दी गई संपत्ति की बकाया राशि को लेकर गरमागरम विवाद हुआ था। शाम को आरोपी व्यक्ति के घर पर हंगामा हुआ और उसने मृतक को जमीन पर पड़ा और लड़खड़ाते हुए देखा। उसने मृतक से पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आरोपी गणेश चौधरी की पहचान की और बाकी आरोपियों की पहचान करने का दावा किया।

21.1 अपनी जिरह में उसने बताया कि उसका बयान पुलिस ने तीन दिन बाद दर्ज किया और घटना 23.10.2002 को सुबह करीब 7 बजे हुई। उसने मृतक के पड़े होने की जगह और उसके आस-पास के इलाके का भी विवरण दिया। आरोपी व्यक्ति मृतक को अपने घर ले गए, जहां अन्य सह-आरोपी भी मौजूद थे। मृतक का लीज पर दी गई संपत्ति की बकाया राशि को लेकर तीखी बहस हुआ था। घटना स्थल पर आरोपी व्यक्तियों का पूरा परिवार मौजूद था और वहां कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था।

22. अभि.सा.-11 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 9-10 वर्ष पूर्व प्रातः 6-7 बजे घटित हुई थी। खेत से लौटते समय उसने मृतक को अभियुक्त के घर पर *ताड़ी* (ताड़ की शराब) पीते हुए देखा, जिस के साथ मछली और *चपाती* थी तथा सभी अभियुक्तगण वहां उपस्थित थे। इसके पश्चात वह घर चला गया, किन्तु जब उसने सुना कि मृतक दर्द से तड़प रहा है, तो वह वापस उस स्थान पर आया, जहां मृतक था। वहां कुछ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। मृतक के मुंह से खून और झाग निकल रहा था तथा उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण भाग गए। पुलिस ने जांच रिपोर्ट तैयार की, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर किए थे। उसने न्यायालय में उपस्थित दो अभियुक्तगणों को भी पहचाना। उसने मृतक को अभियुक्त के घर पर *ताड़ी* (ताड़ की

शराब) पीते हुए देखा, जिस के साथ मछली और *चपाती* थी तथा सभी अभियुक्तगण वहां उपस्थित थे। इसके पश्चात वह घर चला गया, किन्तु जब उसने सुना कि मृतक दर्द से तड़प रहा है, तो वह वापस उस स्थान पर आया, जहां मृतक था। वहां कुछ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। मृतक के मुंह से खून और झाग निकल रहा था और उसकी मौत हो गई।

22.1 अपनी जिरह में उसने आरोपी व्यक्तियों के घर का विवरण दिया है जो उसी स्थान पर स्थित था। सभी आरोपी व्यक्ति *ताड़ी* (ताड़ की शराब) की दुकान पर ही काम करते हैं। उप-निरीक्षक ने घटना की तारीख को अपना बयान दर्ज किया है। उसने पुलिस को यह भी बताया कि पवन चौधरी ने मृतक को पट्टे पर दी गई संपत्ति के संबंध में बकाया राशि का निपटान करने के लिए बुलाया था। मृतक एक शादीशुदा व्यक्ति था और उसके बच्चे थे और यह सच नहीं है कि मृतक शराब पीने के बाद बच्चों और अपनी पत्नी को बहुत मारता था। यह भी सच नहीं है कि मृतक शराबी था और शराब पीने के बाद हंगामा करता था। उन्होंने आगे कहा कि मृतक के पिता ने आरोपियों से पैसे ऐंठने के लिए आरोपियों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज नहीं कराया है।

23. साक्ष्य से यह पता चलता है कि डॉक्टर और आईओ से पूछताछ नहीं की गई है और साक्ष्यों की सूची में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट शामिल हैं। कुछ पीडब्लू ने कहा है कि उन्होंने मृतक को मछली और चपाती खाते हुए देखा है, लेकिन पुलिस ने इसे सबूत के तौर पर नहीं लिया और न ही इसे जांच के लिए भेजा गया। इसके अलावा पीडब्लू ने कहा है कि *ताड़ी* (ताड़ की शराब) में जहर मिलाया गया था, जिसके कारण अशोक राय (मृतक) की मौत हो गई, लेकिन जिस

कंटेनर और बर्तन में मृतक ने खाना खाया या *ताड़ी* (ताड़ की शराब) पी, उसे भी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचने पर सबूत के तौर पर नहीं लिया।

24. इस मामले में जांच अधिकारी और डॉक्टर की जांच नहीं की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने **मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 80** के हालिया फैसले में कहा है कि-

> *"जांच अधिकारी की जांच न किए जाने से अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं को पकड़ने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कमी पैदा होती है, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले में उचित संदेह पैदा होता है।"*

25. **हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य 1954 एआईआर 51, 1954 एससीआर 475** में सर्वोच्च न्यायालय ने इंगित किया कि-

> *"अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य था कि वह सभी महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ करे जो उन घटनाओं के विवरण का विवरण दे सकते हैं जिन पर अभियोजन पक्ष अनिवार्य रूप से आधारित है और यह प्रश्न प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमारी राय में, अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की परिस्थितियों में बियाबानी और अन्य अधिकारियों की जांच करने में चूक से काफी हद तक पक्षपाती था और केवल पुलिस जमादार की गवाही के आधार पर उसकी*

सजा, बियाबानी और अन्य गवाहों की अनुपस्थिति में, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, निष्पक्ष सुनवाई के बाद नहीं कही जा सकती, खासकर जब इस चूक के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया या यहां तक कि प्रयास भी नहीं किया गया।" ई पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर बियाबानी और अन्य गवाहों की अनुपस्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता कि यह निर्णय निष्पक्ष सुनवाई के बाद लिया गया है, खासकर तब जब इस चूक के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है या यहां तक कि प्रयास भी नहीं किया गया है।"

26. जांच अधिकारी का कर्तव्य केवल अभियोजन पक्ष के मामले को ऐसे साक्ष्यों से मजबूत करना नहीं है जो न्यायालय को दोषसिद्धि दर्ज करने में सक्षम बना सकें, बल्कि वास्तविक सच्चाई को सामने लाना भी है। एक जांच अधिकारी की सामान्य भूमिकाएं और कर्तव्य हैं अपराध स्थल प्रबंधन, सूचना और साक्ष्य एकत्र करना, साक्ष्य का विश्लेषण करना, मामले का दस्तावेजीकरण, रिपोर्ट लिखना, न्यायालय में गवाही देना आदि। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी की भूमिकाएं और कर्तव्य जो यहां परिकल्पित किए गए हैं, उनका पालन नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, जब पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, तो जांच अधिकारी और पुलिस ने अपराध स्थल प्रबंधन ठीक से नहीं किया और विभिन्न महत्वपूर्ण साक्ष्य जैसे, मृतक ने जिस बर्तन में खाना खाया और जिस पात्र से मृतक ने *ताड़ी* पी, आदि को ध्यान में नहीं रखा गया।

27. पुलिस अधिकारी ने 23.10.2002 को यू.डी. का मामला दर्ज किया था। मृतक के परिवार वालों ने कोई भी मामला दायर नहीं किया और करीब एक महीने की देरी के बाद 20.11.2002 को मुखबिर (मृतक के पिता) ने शिकायती केस दर्ज किया। इससे पता चलता है कि अभियोजन पक्ष की कहानी मनगढ़ंत है और अविश्वसनीय है। इस बिंदु पर आते हैं कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर की जांच नहीं की गई, जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट पर सवाल उठाता है कि विसरा का नमूना किसने लिया, प्राप्त किया और संग्रहीत किया। इसके अलावा, यह भी सवाल उठता है कि वर्तमान मामले के साथ जो विसरा रिपोर्ट संलग्न है, वह मृतक (अशोक कुमार राय) की है या नहीं। अंत में, यह विश्वास करना कठिन है कि कुछ दिनों के बाद ही, जब उसे बकाया भुगतान फिर से मांगने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई, तब भी मृतक, अभियुक्तों से मिलने गया और अभियुक्तों के घर पर मछली, रोटी खाई और *ताड़ी* पी। इसके अलावा, वर्तमान मामले में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है और सभी पीडब्लू सुनी-सुनाई बातें हैं और उन्होंने घटना को घटित होते नहीं देखा है।

28. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ सभी उचित संदेहों से परे मामला साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का विवादित फैसला और सजा का आदेश दर्ज किया है। ऐसे में, उन्हें रद्द एवं अपास्त की आवश्यकता है।

29. तदनुसार, सत्र परीक्षण संख्या 387/2005 (पटोरी (समस्तीपुर) थाना मामला संख्या 142/2002 से उत्पन्न) के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III, समस्तीपुर द्वारा पारित दिनांक 08.04.2019 के दोषसिद्धि के विवादित निर्णय और

दिनांक 10.04.2019 के सजा के आदेश को रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

30. चूंकि, आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 572/2019 के अपीलकर्ता संख्या 1, 3 और 4 (अर्थात् महेश चौधरी, महाबीर चौधरी और अर्जुन चौधरी) जेल में हैं, इसलिए उन्हें तत्काल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

31. अपील स्वीकृत की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

ब्रजेश कुमार,
आनंद कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।